133

8.2.2017

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

8.2.17.

क्रमांक:प.12(103)नविवि/2004/पार्ट/

परिपत्र

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा [illegible] 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार [illegible] स्पष्ट नहीं होने [illegible] दिनांक 12.01.2017 की पालना के संबंध में स्थिति [illegible] जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, विभिन्न [illegible] नगर निगम/परिषद/पालिकाओं में विभिन्न प्रकरणों के कार्यवाही [illegible] इस कारण प्रकरणों का निस्तारण नहीं होने से आम [illegible] साथ-साथ नगरीय निकायों के राजस्व पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। [illegible] समस्या के निस्तारण के संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर [illegible] अनुसरण में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे-

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक [illegible] 2017 में प्रस्तुत मास्टर प्लान/जोनल प्लान के अनुरूप कार्य करने के आदेश है इसलिए सभी नगरीय निकायों में वर्तमान में प्रभावी [illegible] अनुमोदित मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान के अनुरूप कार्य योजनाओं [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] की जावे।

[illegible] आवासीय कॉलोनियों [illegible] है तो वह भी [illegible] प्रयोजनार्थ अनुमति प्रदान की जा सकती है। ऐसे प्रकरणों [illegible] निस्तारण किया जावे।

[illegible] की आवासीय कॉलोनियों [illegible] जाने के संबंध में यह निर्देशित किया गया है कि [illegible] [illegible]

क्षेत्र की आवासीय कॉलोनियों में 15 मीटर की ऊँचाई तक के भवन अनुमोदित करने में कोई रोक नहीं है। तथा ऐसे भूखण्ड जो आईसोलेटेड है और किसी आवासीय योजना का भाग नहीं है उन पर भी नियमानुसार बहुमंजिला भवन की अनुमति दी जा सकती है। 15 मीटर ऊँचाई की सीमा रखते हुए यदि भू-खण्डों का पुनर्गठन भी कराया जाता है तो उस पर भी कोई रोक नहीं है। विद्यमान नियमो के अन्तर्गत 15 मीटर से अधिक ऊचाई के भवन ही बहुमंजिला भवनो की श्रेणी में आते है। यह निर्देश पूर्वगामी न हो कर भविष्य गामी है।

6. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रश्नगत निर्णय द्वारा बिल्डिंग लाईन एवं सैटबैक के वॉईलेशन की नियमितिकरण पर रोक लगाई गई है परन्तु ऊँचाई एवं एफ.ए.आर. के संबंध में नियमितिकरण पर कोई रोक नहीं है। अतः जब तक सैटबैक एवं बिल्डिंग लाईन के नियमितिकरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से (निर्णय की तिथि से पूर्व के निर्माणों के संबंध में) अनुमति प्राप्त न कर ली जावे तब तक अन्य [illegible] पर नियमितिकरण किया जा सकता है।

उपरोक्त आदेशो की पालना सुनिश्चित की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव (प्रथम)

[illegible] लविवि / [illegible] / पार्ट /

जयपुर, दिनांक 8 FEB 2017

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

[illegible] स्वायत्त शासन विभाग।

[illegible] नगरीय विकास विभाग, राज0 जयपुर

[illegible] स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

[illegible] / सचिव, जयपुर / जोधपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण

[illegible] विभाग, राज0 जयपुर

[illegible]

[illegible] / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिका, राज0।

[illegible] जयपुर [illegible] स्वायत्त शासन विभाग

[illegible]

[illegible]